क्रम-संख्या–268 (ख)

327

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

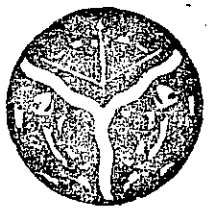

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 18 नवम्बर, 1976
कार्तिक 27, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग–1

संख्या 4887/सत्रह–वि0–1—74-76
लखनऊ, 18 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 नवम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, 1947, यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 और कुमायूं तथा उत्तराखण्ड, जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जून, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा सिवाय अध्याय 6 और 7 के जिन्हें 1 जुलाई, 1976 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 की धारा 117 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे यहां आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 117 में—

(i) उपधारा (1) में, शब्द "विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे ;

(ii) उपधारा (6) में, शब्द "प्रख्यापन अथवा किसी विज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "प्रख्यापन, विज्ञप्ति या आदेश" रख दिये जायेंगे ।

धारा 117-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 117-क में, उपधारा (2) में, शब्द "विज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति या आदेश" रख दिये जायेंगे ।

धारा 119 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 119 में, शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

धारा 122-ख का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 122-ख में—

(i) उपधारा (4-ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(4-ख) यदि इस धारा के अधीन कार्यवाही में जांच के दौरान कारण बताने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे कलेक्टर को यह प्रतीत हो कि हक सम्बन्धी कोई प्रश्न सद्भावनापूर्वक उठाया गया है तो कलेक्टर आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में अपने हक के सम्बन्ध में प्रख्यापन वाद दायर करे, और इस बीच अग्रतर कार्यवाही रोक देगा ।";

(ii) उपधारा (4-घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4-घ) जहां उपधारा (4-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति पूर्णतः या अंशतः ऐसे वाद में सफल हो जाता है, वहां कलेक्टर तदनुसार या तो इस धारा के अधीन अग्रतर कार्यवाही बन्द कर देगा या जारी रखेगा ।

(4-घघ) जहां उपधारा (4-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर ऐसा वाद दायर नहीं करता है, या जहां वाद दायर किये जाने पर खारिज कर दिया जाता है वहां कलेक्टर यह निदेश देगा कि—

(i) ऐसा व्यक्ति बेदखल कर दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो; और

(ii) यथास्थिति, सम्पत्ति की क्षति या दुर्विनियोजन के लिये या दोषपूर्ण अध्यासन के लिये प्रतिकर की राशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाय ।"

(iii) उपधारा (4-च) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(4-च) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी, जहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) 30 जून, 1975 के पूर्व से हो और भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो तो ऐसे खेतिहर मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और यह समझा जायगा कि ऐसे खेतिहर मजदूर को वह भूमि सीरदार के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है ।

स्पष्टीकरण—पद 'खेतिहर मजदूर' का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में उसके लिये दिया गया है ।"

(iv) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(5) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ग से 115-ज के नियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन बनाये गये और सदैव से बनाये गये समझे जायेंगे मानों यह धारा सभी सारभूत दिनांक पर प्रवृत्त थी और तदनुसार पूर्ववत् बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दी जाय ।"

धारा 122-ग का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 122-ग में,—

(i) उपधारा (3) में, स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—(2) पद 'ग्रामीण शिल्पी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जायं, और शिल्पी के अन्तर्गत कोई बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका या तो स्वयं अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से कोई शिल्प करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को जिसकी कुल आय (जिसमें उसकी या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चों की आय भी सम्मिलित है) एक वर्ष में दो हजार चार सौ रुपये से अधिक हो, ग्रामीण शिल्पी नहीं समझा जायगा।"

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(9) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ठ में, उप नियम (2) सदैव से निकाला गया समझा जायगा।"

नई धारा 123-ख का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 123-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

गांव सभा की भूमि के अध्यासन के लिये दंड

"123-ख—(1) जहां किसी व्यक्ति को गांव सभा में निहित किसी भूमि से इस अधिनियम के अधीन बेदखल कर दिया गया है, और वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो उसके माध्यम से या अन्यथा, दावेदार हो, तत्पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है, वहां ऐसा अध्यासी कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाला न्यायालय, उस व्यक्ति को, ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखल कर दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर, चाहे उपधारा (1) के अधीन अभियोजन चलाया जाय या नहीं, उस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भूमि का कब्जा पुनः ले सकता है और इस प्रयोजन क लिय ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो।"

धारा 128 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 128 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (ख) में, शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद्" रख दिये जायेंगे ;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(ग) प्रतिकर की वसूली या क्षतिपूर्ति सहित भूमि के कब्जा लेने की प्रक्रिया ;"।

नई धारा 134 से 137 का रखा जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 134 से 137-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

सीरदारों द्वारा भूमिधरी अधिकार के लिये प्रार्थना-पत्र

"134—(1) कोई सीरदार, जो धारा 131 के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सीरदार न हो असिस्टेन्ट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र अपने भूमिधरी अधिकार के प्रख्यापन के लिये प्रार्थना-पत्र में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र एक या अधिक सह-सीरदारों द्वारा सम्पूर्ण खाता या उसके किसी भाग या उसमें किसी अंश के सम्बन्ध में दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे खाता, भाग या अंश के लिये मालगुजारी के, जो प्रार्थना-पत्र के दिनांक को देय हो या देय समझी जाय, दस गुना के बराबर राशि नियत रीति से जमा न कर दी गई हो।

भूमिधरी अधिकारों का प्रख्यापन

135—(1) यदि असिस्टेन्ट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि धारा 134 में अभिदिष्ट प्रार्थना-पत्र यथोचित रूप से दिया गया है तो वह, आदेश द्वारा, प्रार्थी को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि का भूमिधर प्रख्यापित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश देने के पूर्व, असिस्टेन्ट कलेक्टर ऐसी जांच कर सकता है, जैसी नियत की जाय ।

प्रख्यापन का परिणाम

136—जहां धारा 135 के अधीन कोई प्रख्यापन यथोचित रूप से किया गया हो, वहां सीरदार प्रख्यापन के दिनांक से प्रख्यापन में विनिर्दिष्ट भूमि का भूमिधर समझा जायगा, और उसके वे सब अधिकार होंगे और वे सब दायित्व होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन भूमिधरों को प्रदत्त या आरोपित हों ।

प्रख्यापन का निरसन

137—(1) धारा 135 के अधीन किये गये प्रख्यापन को, किसी हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर (जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है) असिस्टेन्ट कलेक्टर निम्नलिखित किसी आधार पर निरसित या परिष्कृत कर सकता है, अर्थात्—

(क) प्रख्यापन कपटपूर्वक मिथ्या सुझाव प्रस्तुत करके, या मामले से सम्बद्ध कोई सारभूत बात असिस्टेन्ट कलेक्टर से छिपाकर प्राप्त किया गया था;

(ख) प्रख्यापन किसी ऐसे तथ्य के असत्य अभिकथन द्वारा प्राप्त किया गया था जो विधि की दृष्टि से उसके प्रदान करने के लिये आवश्यक था चाहे ऐसा अभिकथन अज्ञानवश या असावधानीवश किया गया हो ;

(ग) उस खाते के विषय में जिसके सम्बन्ध में प्रख्यापन-पत्र दिया गया था, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश से यह प्रदर्शित होता हो कि प्रार्थी उसके लिये हकदार नहीं था।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रख्यापन-पत्र को निरसित किया जाय वहां राशि को जमा करने वाला व्यक्ति उसे वापस पाने का हकदार होगा ।"

धारा 138 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) में अंक "134" के स्थान पर अंक "136" रख दिया जायगा ।

धारा 154 का प्रतिस्थापन

11—मूल अधिनियम की धारा 154 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

भूमिधर द्वारा संक्रमण पर प्रतिबन्ध

"154—(1) उपधारा (2) में जैसी व्यवस्था की गयी है उसके सिवाय, किसी भी भूमिधर को चाय बागान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा यदि संक्रामिती ऐसे विक्रय या दान के परिणामस्वरूप प्राप्त और अपने परिवार द्वारा धृत भूमि को, यदि कोई हो, मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक भूमि का हकदार हो जाय ।

(2) भौमिक अधिकारों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (1) में नियत सीमा से अधिक संक्रमण को प्राधिकृत कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संक्रमण किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजन के लिये स्थापित किसी संस्था के, जिसके पास अपनी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है, पक्ष में है या संक्रमण जनसाधारण के हित में है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'परिवार' का तात्पर्य संक्रामिती, उसकी पत्नी या उसके पति, (जैसी भी दशा हो), से है और इसके अन्तर्गत उसके अवयस्क बच्चे भी होंगे, और यदि संक्रामिती अवयस्क हो तो उसके माता-पिता भी होंगे ।

विदेशी नागरिक भूमि अर्जित नहीं करेंगे

154-क—(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय या दान द्वारा किसी भूमि का अर्जन करने का अधिकार नहीं होगा ।

(2) किसी भूमिधर को उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को किसी भूमि का संक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया प्रत्येक संक्रमण शून्य होगा ।"

धारा 156 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 156 में, उपधारा (2) में स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा ।

धारा 163 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 163 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"163—(1) जहां कोई खाता या उसका भाग धारा 154 या धारा 154—क या धारा 157—क का उल्लंघन करके संक्रमित किया गया हो वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुये भी, प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर स्वयं या किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसे संक्रमण को शून्य घोषित कर सकता है :

भूमिधर द्वारा शून्य संक्रमण के परिणाम

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश संक्रमणकर्ता और संक्रामिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नहीं दिया जायगा।

(2) जहां किसी खाता या उसके भाग के संक्रमण को उपधारा (1) के अधीन शून्य प्रख्यापित किया गया हो, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) संक्रमण के विषय वस्तु को, ऐसे आदेश के दिनांक से समस्त भार से मुक्त हो कर राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;

(ख) आदेश के दिनांक पर खाते में विद्यमान वृक्षों, फसलों और कुएं को, उक्त दिनांक से समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;

(ग) संक्रामिती आदेश के दिनांक पर खाते में विद्यमान अन्य चल सम्पत्ति को या किसी अचल सम्पत्ति के सामान को ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, हटा सकता है।

(3) जहां कोई खाता या उसका भाग या अन्य सम्पत्ति उपधारा (2) क अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी है, और उस पर किसी व्यक्ति का अप्राधिकृत अध्यासन है, वहां कलेक्टर का यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि उस व्यक्ति को वहां से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा 167 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 167 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"167—धारा 163 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट परिणाम प्रत्येक संक्रमण के संबंध में जो धारा 166 के कारण शून्य है, उत्पन्न होंगे, मानों धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक के प्रति निर्देश के स्थान पर ऐसे संक्रमण के दिनांक के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो।"

धारा 210 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 210 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्:—

"210—यदि धारा 209 के अधीन किसी भूमि से बेदखली के लिये वाद की प्रस्तुति किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के द्वारा, या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री का निष्पादन उसके द्वारा, यथास्थिति, ऐसे वाद की संस्थिति या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिये उपबंधित अवधि के भीतर न की जाय तो कब्जा कर लेने या रखने वाला व्यक्ति—

(i) जहां भूमि भूमिधर या सीरदार के खाते की भूमि का भाग हो, उस भूमि का सीरदार हो जायगा, और ऐसी भूमि पर, यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे;

(ii) जहां भूमि गांव सभा की ओर से कब्जा रखने वाले किसी असामी के खाते का भाग हो वहां वह उसका वर्ष प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकार रखने वाला असामी हो जायगा।"

धारा 211—क का निकाला जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 211—क निकाल दी जायगी।

धारा 230 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 230 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (क) से (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"(क) धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसे देने की प्रक्रिया;

(ख) धारा 134 की उपधारा (3) के अधीन जमा करने की रीति;

(ग) धारा 135 के अधीन जांच और प्रख्यापन की प्रक्रिया।"

(ii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ङङ) धारा 163 और 167 के अधीन जांच और प्रख्यापन की प्रक्रिया।"

नई धारा 245, 246 और 247 का रखा जाना

18—मूल अधिनियम की धारा 245, 246, 247 और 247-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

भूमिधर और सीरदार द्वारा देय मालगुजारी

"245—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूमिधर या सीरदार 1 जुलाई, 1976 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये राज्य सरकार को अपने द्वारा धृत भूमि के लिये उपधारा (2) और धारा 246 और 247 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मालगुजारी का देनदार होगा।

(2) किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि उस धनराशि के बराबर होगी जिसकी गणना उसके खाते में सम्मिलित गाटों पर लागू मौरूसी दरों के दुगुने पर की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गणना की गई मालगुजारी—

(i) किसी असिंचित गाटा के सम्बन्ध में पांच रुपये प्रति एकड़ से कम या दस रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगी;

(ii) किसी सिंचित गाटा के सम्बन्ध में दस रुपये प्रति एकड़ से कम या बीस रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण 1—'गाटा' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसके लिये एक पृथक खसरा संख्या दी गई हो ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'सिंचित गाटा' का तात्पर्य ऐसे गाटा से है जिसके क्षेत्रफल के कम से कम आधे भाग में 1379 फसली से 1383 फसली (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के बीच किसी तीन कृषि वर्ष में प्रत्येक में कम से कम एक फसल की सिंचाई किसी स्रोत से की गई हो और पद 'असिंचित गाटा' का तात्पर्य सिंचित गाटों से भिन्न प्रत्येक गाटा से है ।

स्पष्टीकरण 3—शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि प्रत्येक भूमिधर या सीरदार 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अध्याय 10 के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व था, मालगुजारी का देनदार होगा ।

मालगुजारी के अवधारण की प्रक्रिया

246—(1) धारा 245 के अधीन भूमिधरों और सीरदारों द्वारा देय मालगुजारी का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ असिस्टेंट कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिये अस्थायी विवरण-पत्र तैयार करायेगा ।

(2) अस्थायी विवरण-पत्र ऐसे आकार में प्रकाशित किया जायगा जैसा नियत किया जाय ।

(3) अस्थायी विवरण-पत्र में किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन अस्थायी विवरण-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को आपत्ति कर सकता है ।

(4) परगने का अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(5) अस्थायी विवरण-पत्र का, यदि आवश्यक हो, उपधारा (4) के अधीन आदेश के अनुसार पुनरीक्षण किया जायगा, और तदुपरान्त उस पर परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा और मुहर लगाई जायेगी और वह अन्तिम और निश्चायक हो जायगा ।

333

(6) परगने का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर उपधारा (5) में अभिदिष्ट विवरण-पत्र में किसी लिपिक या गणित संबंधी भूल या किसी आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली किसी त्रुटि को ठीक कर सकता है।

247—धारा 246 में अभिदिष्ट अन्तिम विवरण-पत्र में विनिर्दिष्ट मालगुजारी की दर पूर्ववत् रहेगी जब तक कि उसमें सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय

धनराशि, यथास्थिति, भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी होगी और पूर्ववत् रहेगी जब तक कि उसमें इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय।"

धारा 249 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 249 में, शब्द "उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था धारा 247-क में की गयी है" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 251 का निकाला जाना

20—मूल अधिनियम की धारा 251 निकाल दी जायेगी।

धारा 252 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 252 में,—

(i) उपधारा (1) में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिये जायेंगे, और उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा।

(ii) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 253 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 253 में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिया जायेगा, और उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा।

धारा 257 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 257 में, शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 264 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 264 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 267 का निकाला जाना

25—मूल अधिनियम की धारा 267 निकाल दी जायेगी।

धारा 287-का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 287-क में, उपधारा (1) में, शब्द "बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिए" के पश्चात् शब्द "या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि को वसूल करने के लिये" रख दिये जायेंगे।

धारा 294 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 294 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (कक) निकाल दिया जायेगा;

(ii) खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा।

अनुसूची 2 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में—

(क) क्रम-संख्या 7 में, स्तम्भ संख्या-2 में, अंक और अक्षर "137-क" के स्थान पर अंक "137" रखा जायेगा;

(ख) क्रम-संख्या 14 के सामने स्तम्भ-3 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"किसी संक्रमण को शून्य प्रख्यापित करने के लिये प्रार्थना-पत्र।"

(ग) क्रम-संख्या 40 और 41 की वर्तमान प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

29—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 134 से 137-क में से, जैसा वह इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व थी, किसी धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही इस अध्याय द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी और तदनुसार निस्तारित की जायेगी।

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1954 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

30—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"4-क (1) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके सम्बन्ध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां वह गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित

कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से इस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं ।"

धारा 5 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) में, उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा और सदैव से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा ।"

धारा 52 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) जहां धारा 23 के अधीन चकबन्दी योजना के अन्तिम हो जाने के पूर्व किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 की उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा किया जाता है और वह आदेश अन्तिम हो जाता है वहां इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किये जायें, कार्यान्वित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रिया को समाप्त नहीं समझा जायेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जायेगा;

(ख) चकबन्दी कार्यवाही में सम्बद्ध खातेदार को प्रविष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खण्ड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायगा;

(ग) चकबन्दी कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा ।"

धारा 54 का संशोधन

33—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(गग)—चकबन्दी क्षेत्र में जोत के संक्रमण के लिये धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें ।"

अध्याय 4

संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रांत का ऐक्ट संख्या 3, 1948 की धारा 1 का संशोधन

34—संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, 1947 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।"

धारा 2 का संशोधन

35—मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(क) खण्ड (1) में शब्द "कृषि सम्बन्धी गांव" के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायगा;

(ख) खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(4) 'गांव' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, चाहे एकत्र हो या नहीं, जो सम्बद्ध जिले के माल अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 3 के खण्ड (25) के अधीन किसी गांव के रूप में प्रख्यापित क्षेत्र भी सम्मिलित है ।"

धारा 4 का संशोधन

36—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(i) शब्द "कृषि सम्बन्धी गांव" के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायगा;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ग) अपने मकान का चाहे वह कच्चा या पक्का या दोनों हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए पुनर्निर्माण या नवीकरण करें।"

अध्याय 5

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 3, 1901 की धारा 33 का संशोधन

37—यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 33 में—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलेक्टर उसकी तैयारी के उपरांत यथाशक्यशीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, जोत बही (पास बुक) तैयार करायेगा और ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क के, जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा, भुगतान पर उसे दिलवायेगा जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में जिनके सम्बन्ध में वह (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर से लिये गये ऐसे उद्धरण होंगे जिन्हें नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त खातों की स्थिति में इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि जोत बही (पास बुक) अभिलिखित सह अंशधारियों में से केवल ऐसे एक या एकाधिक को, जो नियत किया जाय, दी जाय।

स्पष्टीकरण :—जोतबही (पास बुक) खातेदार की, भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में समस्त जोतों के लिये संहत पास बुक होगी।"

(ख) उप धारा (5) और (6) में जहां कहीं भी शब्द 'जोतबही' आया हो, उसके स्थान पर शब्द 'जोतबही (पास बुक)' रख दिये जायेंगे।

धारा 183 का प्रतिस्थापन

38—मूल अधिनियम की धारा 183 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी:—

"183—(1) जब कभी किसी बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिये या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि को वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही की जाये तो वह ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी को अध्यर्थित धनराशि का अभ्यापत्ति के साथ भुगतान कर सकता है, और ऐसा भुगतान किये जाने पर कार्यवाही स्थगित कर दी जायगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई हो, इस प्रकार दत्त धनराशि के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, और ऐसे वाद में वादी, धारा 145 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी धनराशि के, यदि कोई हो, जिसे वह देय मानता है, सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

अभ्यापत्ति के साथ भुगतान और वसूली के लिए वाद

(2) इस धारा के अधीन किसी अभ्यापत्ति से कोई व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में तब तक वाद नहीं ला सकेगा जब तक कि अभ्यापत्ति, जो लिखित रूप में और ऐसे व्यक्ति अथवा उनकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, भुगतान करते समय न की जाय।"

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972 की धारा 2 का संशोधन

39—उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (कक) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

40—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(i) उपधारा (4) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से अस्सी लाख रुपयों की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को गांवों में पेय जल की योजनाओं को तैयार, निष्पादित, प्रोन्नत, प्रवर्तित और अनुरक्षित करने के लिए देगी और शेष धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा

99 के अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें; " ;

(ii) उप धारा (6) में, खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसी पेय जल योजनाओं, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों," निकाल दिये जायेंगे ।

अनुसूची का प्रतिस्थापन

41—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्:—

"अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

भूमि विकास कर नीचे विनिर्दिष्ट दर से देय होगा:—

क—किसी भूमिधर, सीरदार या सरकारी पट्टेदार की स्थिति में—	
(i) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो ।	कुछ नहीं ।
(ii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो ।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के एक-तिहाई के बराबर धनराशि ।
(iii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो ।	उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के आधे के बराबर धनराशि ।
(iv) जिसके द्वारा और जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो ।	उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि ।
ख—किसी मध्यवर्ती की स्थित में	उसके द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के बराबर धनराशि ।

स्पष्टीकरण:—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये 'परिवार' के अन्तर्गत व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चे है, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं ।"

अध्याय 7

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1960 की धारा 47 का संशोधन

42—कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 47 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अधिनियम की धारा 245, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, निम्नलिखित परिष्कारों के साथ लागू होगी :—

(1) उन क्षेत्रों में, जहां यह अधिनियम लागू होता है, डेढ़ एकड़ भूमि की गणना एक एकड़ की जायगी;

(2) उस जिले में, जहां कोई मौरूसी दर नहीं है "मौरूसी दर" के प्रति निर्देश का अर्थ "गांव मालगुजारी दर" के प्रति निर्देश से लगाया जायगा;

(3) किसी ऐसे जिले के सम्बन्ध में, जिसमें अधिकतम मौरूसी दर या गांव मालगुजारी दर एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हो, उक्त धारा 245 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (i) में शब्द 'पांच रुपये' और 'दस रुपये' के स्थान पर क्रमशः शब्द 'तीन रुपये' और 'पांच रुपये' रख दिये जायेंगे और उसके खण्ड (ii) में शब्द 'दस रुपये' और 'बीस रुपये' के स्थान पर क्रमशः शब्द 'छः रुपये' और 'दस रुपये', रख दिये जायेंगे ।"

अध्याय 8

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

43—(1) उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही उसी प्रकार समझी जायगी, मानों यह अधिनियम, सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

No. 4887 /XVII-V—1-74-76

Dated Lucknow, November 18, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi-Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 17, 1976 :

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 35 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, *the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act,* 1953, *the U. P. Village Abadi Act,* 1947, *the U. P. Land Revenue Act,* 1901, *the Uttar Pradesh Land Development Tax Act,* 1972, *and the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act,* 1960.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on June 15, 1976, except Chapters VI and VII which shall be deemed to have come into force on July 1, 1976.

Chapter II

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

Amendment of section 117 of U.P. Act 1 of 1951.

2. In section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(i) in sub-section (1), *for* the words "specified in the notification", the words "specified in such order" shall be *substituted* ;

(ii) in sub-section (6), *for* the words "declaration or notification", the words "declaration, notification or order" shall be *substituted.*

Amendment of section 117-A.

3. In section 117-A of the principal Act, in sub-section (2), *for* the word "notification", the words "notification or order" shall be *substituted.*

Amendment of section 119.

4. In section 119 of the principal Act, *for* the words "District Board" the words "Zila Parishad" shall be *substituted.*

Amendment of section 122-B.

5. In section 122-B of the principal Act—

(i) *for* sub-section (4-B), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(4-B) If during the course of inquiry in proceedings under this section, the person showisg cause has produced any evidence which appears to the Collector to raise any *bona fide* question of title, then the Collector shall, by order require such person to file a suit for declaration of his title in a court of competent jurisdiction within a period of three months from the date of such order, and stay further proceedings in the meantime."

(ii) *for* sub-section (4-D), the follwoing sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(4-D) Where the person referred to in sub-section (4-B) succeeds in the suit wholly or partly the Collector shall either drop or hold further proceedings under this section accordingly.

(4-DD) Where the person referred to in sub-section (4-B) fails to file such suit within the said period, or where the suit, if filed is dismissed, the Collector shall direct that—

(i) such person shall be evicted, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary; and

(ii) the amount of compensation for damages or misappropriation of the property or for wrongful occupation, as the case may be, be recovered from such person as arrears of land revenue."

(iii) *for* sub-section (4-F) and the Explanation thereto. the following sub-section and Explanation shall be *substituted.* namely:—

"(4-F) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections, where any agricultural labourer belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe is in occupation of any land vested in a Gaon Sabha under section 117 (not being land mentioned in section 132) having occupied it from before June 30, 1975 and the land so occupied together with land, if any, held by him from before the said date as *bhumidhar, sirdar* or *asami* does not exceed 1.26 hectares (3.125 acres), then no action under this section shall be taken by the Land Management Committee or the Collector against such labourer, and it shall be deemed that he has been admitted as *sirdar* of that land under section 195.

Explanation—The expression 'agricultural labourer' shall have the meanings assigned to it in section 198."

(iv) *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted,* namely :—

"(5) Rules 115-C to 115-H of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952, shall be and be always deemed to have been made under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as amended by the Uttar Pradesh Land Laws (Second Amendment) Act, 1961, as if this section has been in force on all material dates and shall accordingly continue in force until altered or repealed or amended in accordance with the provisions of this Act."

Amendment of section 122-C.

6. In section 122-C of the principal Act—

(i) in sub-section (3), *for* Explanation II, the following Explanation shall be *substituted,* namely :—

"*Explanation II*—The expression 'village artisan' means a person who does not hold any agricultural land and whose main source of livelihood is manufactured or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary

thereto and includes a carpenter, weaver, potter, blacksmith, silversmith, goldsmith, barber, washerman, cobbler or any other person who normally earns his livelihood by practising a craft either by his own labour or by the labour of any member of his family in any rural area :

Provided that no person shall be deemed to be a village artisan whose total income (including income of his or her spouse and minor children) exceeds two thousand four hundred rupees in a year."

(ii) *after* sub-section (8), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(9) In rule 115-L of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952, sub-rule (2) shall be deemed always to have been *omitted*."

Insertion of new section 123-B.

7. *After* section 123-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely—

Punishment for occupation of Gaon Sabha Land.

"123-B. (1) Where any person has been evicted under this Act from any land vested in a Gaon Sabha, and such person or any other person, whether claiming through him or otherwise, thereafter occupies such land or any part thereof without lawful authority, such occupant shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

(2) Any court convicting a person under sub-section (1) may make an order for evicting the person summarily from such land, and such person shall be liable to such eviction, without prejudice to any other action that may be taken against him under any law for the time being in force.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Collector may, whether or not a prosecution is instituted under sub-section (1), retake possession of any land, referred to in that sub-section and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary for evicting any person found in occupation thereof."

Amendmen of section 128.

8. In section 128 of the principal Act, in sub-section (2) —

(i) in clause (*b*), *for* the words "District Board", the words "Zila Parishad" shall be *substituted ;*

(ii) *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(*c*) the procedure for recovery of compensation or possession of the land together with damages ;".

Substitution of new sections 134 to 137.

9. *For* sections 134 to 137-A of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Application for Bhumidhari right by Sirdars.

"134. (1) A *sirdar*, not being a *sirdar* referred to in clause (*b*) of section 131, may apply to an Assistant Collector for declaration of his *bhumidhari* rights in respect of the land specified in the application.

(2) An application under sub-section (1) may be made by one or more of the co-sirdars and in respect of the entire holding or any part thereof or any share therein.

(3) No application under sub-section (1) shall be entertained unless an amount equal to ten times the land revenue payable or deemed to be payable on the date of application for such holding, part or share has been deposited in the manner prescribed.

Declaration of Bhumidhari right.

135. (1) If the Assistant Collector is satisfied that the application referred to in section 134 has been duly made, he shall, by order, declare the applicant to be the *bhumidhar* of the land specified in such order.

(2) Before making an order under sub-section (1), the Assistant Collector may make such inquiry as may be prescribed.

Consequences of declaration.

136. Where a declaration under section 135 has been duly made, the *sirdar* shall, from the date thereof, be deemed to be a *bhumidhar* of the land specified in the declaration, and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon *bhumidhars* by or under this Act.

Cancellation of declaration.

137. (1) A declaration granted under section 135 may, on the application of any person interested (including the State Government), be cancelled or modified by the Assistant Collector on any of the following grounds, namely--

(*a*) that the declaration was obtained fraudulantly by making of a false suggestion, or by the concealment from the Assistant Collector of something material to the case ;

(*b*) that the declaration was obtained by means of an untrue allegation of a fact essential in point of law to justify the grant thereof, though such allegation was made in ignorance or inadvertently ;

(*c*) that a decree or order passed by a competent Court in a suit or other proceedings with respect to the holding for which declaration was made shows that the application was not entitled thereto.

(2) Where the declaration is cancelled under sub-section (1), the person depositing the amount shall be entitled to its refund."

Amendment of Section 138.

10. In section 138 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the figures "134", the figures "136" shall be *substituted.*

Substitution of section 154.

11. *For* section 154 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Restriction on transfer by a Bhumidhar.

"154. (1) Save as provided in sub-section (2), no *bhumidhar* shall have the right to transfer by sale or gift, any land other than tea gardens to any person where the transferee shall, as a result of such sale or gift, become entitled to land which together with land, if any, held by his family will in the aggregate, exceed 5.0586 hectares (12.50 acres) in Uttar Pradesh.

(2) Subject to the provisions of any other law relating to the land tenures for the time being in force, the State Government may, by general or special order, authorise transfer in excess of the limit prescribed in sub-section (1) if it is of the opinion that such transfer is in favour of a registered co-operative society or an institution established for a charitable purpose, which does not have land sufficient for its need, or that the transfer is in the interest of general public.

Explanation—For the purposes of this section, the expression 'family' shall mean the transferee, his or her wife or husband (as the case may be) and minor children, and where the transferee is a minor also his or her parents.

Foreign nationals not to acquire land.

154-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, no person shall have the right to acquire any land by sale or gift without prior permission in writing from the State Government, unless he is an Indian citizen.

(2) No *bhumidhar* shall have the right to transfer any land to any person in contravention of sub-section (1).

(3) Every transfer made in contravention of the provisions of this section shall be void."

Amendment of section 156.

12. In section 156 of the principal Act, in sub-section (2), the Explanation shall be *omitted.*

Substitution of new section for section 163.

13. *For* section 163 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Consequences of void transfers by Bhumidhars.

"163. (1) Where any holding or part thereof has been transferred in contravention of section 154 or section 154-A or section 157-A, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any contract, decree or order of any court, the Assistant Collector First Class may, either

suo motu or on the application of any person, and after making such inquiry as he thinks fit, by order declare such transfer to be void :

Provided that no order under this sub-section shall be made without affording an opportunity of hearing to the transferer as well as to the transferee.

(2) Where the transfer of any holding or part has been declared to be void under sub-section (1), the following consequences shall ensue, namely :—

(*a*) the subject-matter of transfer shall with effect from the date of such order, be deemed to have vested in the State Government free from all encumbrances ;

(*b*) the trees, crops and wells existing in the holding on the date of the order shall with effect from the said date be deemed to have been vested in the State Government free from all encumbrances ;

(*c*) the transferee may remove other movable property or the materials of any immoveable property existing on the holding on the date of the order, within such time as may be prescribed.

(3) Where any holding or part thereof or other property has vested in the State Government under sub-section (2), and any person is in unauthorised occupation thereof, it shall be lawful for the Collector to direct that such person be evicted therefrom and for that purpose he may use or cause to be used such force as may be necessary."

Substitution of new section for section 167.

14. *For* section 167 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"167. The consequences specified in clauses (*a*) to (*c*) of sub-section (2) of section 163 shall ensue in respect of every transfer which is void by virtue of section 166 with the substitution of references to the date of the order under sub-section (1) of section 163 by references to the date of such transfer."

Amendment of section 210.

15. *For* section 210 of the principal Act, the following section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"210. If a suit for eviction from any land under section 209 is not instituted by a *bhumidhar*, *sirdar* or *asami*, or a decree for eviction obtained in any such suit is not executed by him, within the period of limitation provided for the institution of such suit or the execution of such decree, as the case may be, the person taking or retaining possession shall—

(i) where the land forms part of the holding of a *bhumidhar* or *sirdar*, become a *sirdar* of such land, and the rights, title and interest of an *asami*, if any, in such land shall be extinguished ;

(ii) where the land forms part of the holding of an *asami*, on behalf of the Gaon Sabha, become an *asami* thereof holding from year to year."

Omission of section 211-A.

16. Section 211-A of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 230.

17. In section 230 of the principal Act, in sub-section (2) -

(i) *for* clauses (*a*) to (*c*), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) the form and procedure of making the application under sub-section (1) of section 134 ;

(*b*) the manner of making the deposit under sub-section (3) of section 134 ;

(*c*) the procedure for making inquiry and declaration under section 135."

(ii) *after* clause (*e*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*ee*) the procedure for making inquiry and declaration under sections 163 and 167 ;"

Substitution of new sections 245 246 and 247.

18. *For* sections 245, 246, 247 and 247-A of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

"245. (1) Subject to the provisions of this Act, every *bhumidhar* or *sirdar*, shall for every agricultural year commencing on or after July 1, 1976, be liable to pay to the State Government, for land held by him, land revenue determined in accordance with the provisions of sub-section (2) and sections 246 and 247.

Land revenue payable by Bhumidhars and Sirdars.

(2) The amount of land revenue payable by a *bhumidhar* or *sirdar* shall be equal to an amount computed at double the hereditary rates applicable to the respective plots of land comprised in his holding :

Provided that the land revenue so computed shall not be—

(i) less than rupees five per acre or more than rupees ten per acre in respect of an unirrigated plot of land ;

(ii) less than rupees ten per acre or more than rupees twenty per acre in respect of an irrigated plot of land.

Explanation I—A plot of land means land to which a separate Khasra number is assigned.

Explanation II—For the purposes of this section, the expression 'irrigated plot of land' means a plot of land at least half the area whereof was irrigated by any source in at least one crop in each of any three agricultural years between 1379 Fasli to 1388 Fasli (both inclusive) and the expression 'unirrigated plot of land' means every plot of land other than an irrigated plot of land.

Explanation III—For the removal of doubts, it is hereby declared that every *bhumidhar* or *sirdar* shall continue to be liable to pay land revenue for the period ending on June 30, 1976, in accordance with the provisions of Chapter X as they stood before the commencement of this section.

246. (1) For the purposes of determining the land revenue payable by *bhumidhars* and *sirdars* under section 245, the Assistant Collector shall cause to be prepared a Provisional Statement for each village.

Procedure for determination of land revenue.

(2) The Provisional Statement shall be published in such form as may be prescribed.

(3) Any person aggrieved by any entry in the Provisional Statement may file an objection to the Assistant Collector incharge of the Sub-Division within fifteen days from the date of publication of the Provisional Statement under sub-section (2).

(4) The Assistant Collector incharge of the Sub-Division shall, after affording reasonable opportunity of being heard, decide the objection, and his decision shall be final.

(5) The Provisional Statement shall, if necessary, be revised in accordance with an order under sub-section (4), and thereupon it shall be signed and sealed by the Assistant Collector incharge of the Sub-Division and shall become final and conclusive.

(6) The Assistant Collector incharge of the Sub-Division may correct any clerical or arithmetical mistakes in the Statement referred to in sub-section (5) or any error arising therein from any accidental slip or omission.

247. The amount specified in the Final Statement referred to in section 246 shall be and continue to be the land revenue payable by a *bhumidhar* or *sirdar*, as the case may be, until the same is duly altered in accordance with the provisions of this Chapter."

Rates of land revenue to continue until duly altered.

Amendment of section 249.

19. In section 249 of the principal Act, the words "except as provided in section 247-A" shall be *omitted*.

Omission of section 251.

20. Section 251 of the principal Act shall be *omitted*.

343

21. In section 252 of the principal Act— Amendment of section 252.

(i) in sub-section (1), *for* the words "forty years", the words "twenty years" shall be *substituted,* and the proviso thereto shall be *omitted*;

(ii) sub-section (2) shall be *omitted.*

22. In section 253 of the principal Act, *for* the words "forty years", the words "twenty years" shall be *substituted,* and the proviso thereto shall be *omitted.* Amendment of section 253.

23. In section 257 of the principal Act, *for* the words "forty years", the words "twenty years" shall be *substituted.* Amendment of section 257.

24. In section 264 of the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted.* Amendment of section 264.

25. Section 267 of the principal Act shall be *omitted.* Omission of section 267.

26. In section 287-A of the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "for the recovery of any arrear of revenue", the words "or for the recovery of any sum of money recoverable as arrear of revenue" shall be *inserted.* Amendment of section 287-A.

27. In section 294 of the principal Act, in sub-section (2)— Amendment of section 294.

(i) clause (*aa*) shall be *omitted* ;

(ii) clause (*c*) shall be *omitted.*

28. In Schedule II to the principal Act— Amendment of Schedule II.

(*a*) in serial No. 7, *for* the figures and letter "137-A" in column No. 2, the figures "137" shall be *substituted*;

(*b*) against serial No. 14, *for* the existing entry in column No. 3, the following entry shall be *substituted,* namely :—

"Application for declaration of any transfer to be void."

(*c*) the existing entries at serial numbers 40 and 41 shall be *omitted.*

29. Notwithstanding anything contained in this Chapter, every proceeding under any of the sections 134 to 137-A of the principal Act, as they stood before the commencement of this Chapter, shall be deemed to be a proceeding under the corresponding provision of the principal Act as amended by this Chapter and shall be disposed of accordingly. Transitory provisions.

CHAPTER III

Amendment of Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953

30. *After* section 4 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act 1953, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely :— Insertion of new section 4-A in U.P. Act V of 1954.

"4-A. (1) Where the State Government is of opinion that in the case of a district or part thereof in respect of which a notification has already been issued under section 52, it is expedient in public interest so to do, it may make a declaration by notification in the *Gazette* that such district or part thereof may again be brought under consolidation operation :

Provided that no such declaration shall be issued within ten years from the date of the notification referred to in the said section.

(2) The provisions of this Act shall *mutatis mutandis* apply to every notification issued under sub-section (1) as they apply to a notification under section 4."

31. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the Explanation thereto, the following Explanation shall be *substituted* and shall be deemed always to have been *substituted,* namely :— Amendment of section 5.

"*Explanation*—For the purposes of sub-section (2), a proceeding under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 or an uncontested proceeding under sections 134 to 137 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall not be deemed to be a proceeding in respect of declaration of rights or interest, in any land."

Amendment of section 52.

32. In section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Where the allotment or lease of any land made before the consolidation scheme becomes final under section 23, is cancelled by an order under sub-section (4) of section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and such order becomes final, then notwithstanding anything contained in the provisions of this Act, such order shall be given effect to by such authorities, as may be prescribed, in the following manner, and the consolidation operation shall, for that purpose, be deemed to have not closed, namely—

(*a*) the value of the land which was the subject-matter of such allotment or lease shall first be ascertained in the manner prescribed ;

(*b*) the value referred to in clause (*a*) shall be deducted from the total value of land allotted to the tenure-holder concerned during consolidation proceedings ;

(*c*) the tenure-holder shall be entitled, during consolidation proceeding, to land equivalent in valuation to the said land."

Amendment of section 54.

33. In section 54 of the principal Act, in sub-section (2), *after* sub-clause (*c*), the following sub-clause shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(*cc*) the conditions to be observed by the Settlement Officer (Consolidation) in granting permission referred to in clause (*c*) of sub-section (1) of section 5, for transfer of holdings in the Consolidation area ;".

CHAPTER IV

Amendment of U. P. Village Abadi Act, 1947

Amendment of section 1 of U.P. Act 3 of 1948.

34. In section 1 of the U. P. Village Abadi Act, 1947, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* sub-sections (2) and (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh."

Amendment of section 2.

35. In section 2 of the principal Act—

(*a*) in clause (1), *for* the words 'an agricultural village', the words 'a village' shall be *substituted* ;

(*b*) *after* clause (3), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(4) 'village' means any local area whether compact or otherwise recorded as a village in the revenue records of the district concerned and includes an area declared under clause (25) of section 3 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, to be a village."

Amendment of section 4.

36. In section 4 of the principal Act—

(i) *for* the words "agricultural village", the words "village" shall be *substituted* ;

(ii) *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*c*) rebuild or renovate his house whether *kachcha* or *pucca* or both, subject to any other law for the time being in force."

CHAPTER V

Amendment of the U. P. Land Revenue Act, 1901

Amendment of section 33 of U.P. Act III of 1901.

37. In section 33 of the U. P. Land Revenue Act, 1901, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(4) Every time when annual register is prepared under sub-section (1), the Collector shall, as soon as may be after its preparation, cause to be prepared and supplied to every person recorded as *bhumidhar, sirdar, asami* or Government lessee a Jot Bahi (Pass Book) which shall contain such extract from the annual register

relating to all holdings of which he is so recorded (either solely or jointly with others) and in such manner and on payment of such fee, which shall be realisable as arrears of revenue, as may be prescribed :

Provided that in the case of joint holdings it shall be sufficient for the purposes of this sub-section if the Jot Bahi (Pass Book) is supplied only to such one or more of the recorded co-sharers as may be prescribed.

Explanation—The Jot Bahi (Pass Book) shall be a consolidated pass book for all the holdings of a tenure-holder in respect of land held by him as *bhumidhar, sirdar, asami* or Government lessee ;"

(*b*) in sub-sections (5) and (6), *for* the words 'Jot Bahi' wherever occurring, the words 'Jot Bahi (Pass Book) shall be *substituted.*

Substitution of section 183.

38. *For* section 183 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

"183. (1) Whenever proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of any arrear of revenue or for the recovery of any sum of money recoverable as arrear of revenue he may pay the amount claimed under protest to the officer taking such proceedings, and upon such payment the proceedings shall be stayed and the person against whom such proceedings were taken may sue the State Government in the Civil Court for the amount so paid, and in such suit the plaintiff may, notwithstanding anything contained in section 145, give evidence of the amount, if any, which he alleges to be due from him.

Payment under protest and suit for recovery.

(2) No protest under this section shall enable the person making the same to sue in the Civil Court, unless it is made at the time of the payment in writing and signed by such person or by an agent duly authorized in his behalf."

CHAPTER VI

Amendment of the Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972

Amendment of section 2 of U.P. Act 35 of 1972

39. In section 2 of the Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, clause (*aa*) shall be *omitted.*

Amendment of section 5.

40. In section 5 of the principal Act,—

(i) in sub-section (4), *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted,* namely—

"(*a*) out of an amount equivalent to ten per cent of the sum so received, pay a sum of rupees eighty lakh to the Uttar Pradesh Jal Nigam for preparing, executing, promoting, operating and maintaining drinking water schemes in the villages, and place the balance to the credit of the Zila Nidhis established under section 99 of the Uttar Pradesh Kshettra Samities and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 in such proportions as the State Government may by general or special order determine ;"

(ii) in sub-section (6), in clause (*b*), the words "such drinking water schemes as may be approved by the State Government and" shall be *omitted.*

Substitution of Schedule.

41. *For* the Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *substituted,* namely :—

"SCHEDULE

(*See* SECTION 5)

The land development tax shall be payable at the rates specified below :

A. In the case of a *bhumidhar, sirdar* or Government lessee—	
(i) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and by members of whose family does not exceed 1.2647 hectares (3.125 acres).	Nil

(ii) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and by members of whose family exceeds 1.2647 hectares (3.125 acres) but does not exceed 2.5293 hectares (6.25 acres).	An amount equal to one-third of the land revenue or rent payable by him or by members of his family.
(iii) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and by members of whose family exceeds 2.5293 hectares (6.25 acres) but does not exceed 5.0586 hectares (12.50 acres).	An amount equal to one-half of the land revenue or rent payable by him or by members of his family.
(iv) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and by members of whose family exceeds 5.0586 hectares (12.50 acres).	An amount equal to the land revenue or rent payable by him or by members of his family.
B. In the case of an intermediary—	An amount equal to land revenue or rent payable by him.

Explanation—For the purposes of this Schedule, 'family' consists of an individual, his or her spouse and minor children, whether they are joint or not with the individual."

CHAPTER VII

Amendment of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960.

Amendment of section 47 of U.P. Act XVII of 1960.

42. In section 47 of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted, namely* :—

"Provided that section 245 of the said Act shall, in relation to such area, apply with the following modifications :—

(i) one and a half acres of land in areas to which this Act applies shall count as one acre ;

(ii) in a district where there are no hereditary rates, the reference to "hereditary rates" shall be construed as a reference to 'village land revenue rates' ;

(iii) in relation to any district in which the maximum hereditary rates or village land revenue rates do not exceed rupee one per acre, the words 'rupees five' and 'rupees ten' in clause (i) of the proviso to sub-section (2) of the said section 245 shall be substituted by the words 'rupees three' and 'rupees five' respectively, and the words 'rupees ten' and 'rupees twenty' in clause (ii) thereof shall be *substituted* by the words 'rupees six' and 'rupees ten' respectively."

CHAPTER VIII

Miscellaneous

Repeal and savings.

43. (1) The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1976 is hereby *repealed*. U.P. Ordinance No. of 1976

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Acts as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Acts as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 359 सा० (विधायिका)—1976—750 (मे०)।